**प्रेस विज्ञप्ति**

**15/04/2025**

प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता ने सहारा इंडिया और उसके समूह की संस्थाओं के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लोनावाला के आंबी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ ज़मीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका अनुमानित बाज़ार मूल्य 1460 करोड़ रुपये है। यह ज़मीन बेनानी के नाम पर खरीदी गई थी, जिसका पैसा सहारा समूह की संस्थाओं से लिया गया था।

ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 120बी के तहत दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए, 2002 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जमाकर्ताओं को धन जमा करने के लिए धोखा दिया गया था, उनकी सहमति के बिना धन को फिर से जमा करने के लिए मजबूर किया गया था और कई बार परिपक्वता भुगतान की मांग करने के बावजूद उन्हें उनके परिपक्वता भुगतान से वंचित कर दिया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि सहारा समूह एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के माध्यम से पोंजी स्कीम चला रहा था। समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्रित धन का उपयोग किया है। इसके अलावा, उन्होंने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को उनकी परिपक्वता राशि को फिर से जमा करने के लिए मजबूर/प्रलोभित किया, जमा को एक योजना से दूसरी योजना और संस्था में स्थानांतरित किया। गैर-पुनर्भुगतान को छिपाने के लिए, समूह ने एक योजना में पुनर्भुगतान दिखाने के लिए खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया, पुनर्निवेश को दूसरी योजना में नए निवेश के रूप में माना। पोंजी योजना को जारी रखने के लिए, उन्होंने मौजूदा परिपक्वता राशि चुकाने में सक्षम न होने के बावजूद नए जमा स्वीकार करना जारी रखा। एकत्रित धन का एक हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने, अपने निजी खर्चों और शानदार जीवनशैली के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच से यह भी पता चला कि उन्होंने सहारा समूह की संपत्तियों का भी निपटान किया है और जमीन की बिक्री के बदले अघोषित नकदी में भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त किया है, जिससे जमाकर्ताओं को उनके सही दावे से वंचित किया गया है।

जांच के दौरान, जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। साथ ही,

पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की गई।

आगे की जांच जारी है।